



मध्यप्रदेश शासन  
जल संसाधन विभाग,  
-:: मंत्रालय ::-  
वल्लभ भवन भोपाल

E-mail (under.secretary@yahoo.in; under.secretary2013@gmail.com)

पत्र क्रं.-373/2/74/भू.अ./2015/MPS/31 / 1556

भोपाल दिनांक-04/09/2018

प्रति,


प्रमुख अभियंता,  
जल संसाधन विभाग,  
भोपाल ।

विषय :- माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-एफ.ए.-414 /2016 म.प्र.शासन, विरूद्ध गब्बू पिता रूपा, सजनाबाई बेवा रूपा में पारित निर्णय दिनांक 09.07.2018 के अनुसार मा. न्यायालय सरदारपुर जिला धार द्वारा निर्धारित दर का 50 प्रतिशत राशि मा. न्यायालय में जमा करने की अनुमति ।

संदर्भ :- आपकी एकल नस्ती क्रमांक-373/2/74/भू.अ./2015/1047/प्र.अ./2018 भोपाल दिनांक 24.07.2018

७०००६


उपरोक्त विषयांतर्गत माही परियोजना के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-एफ.ए.-414 /2016 म.प्र.शासन, विरूद्ध गब्बू पिता रूपा, सजनाबाई बेवा रूपा में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.07.2018 के अनुसार कुल देय राशि रूपये 6,10,685/- का 50 प्रतिशत राशि रूपये 3,05,342/- (तीन लाख पाँच हजार तीन सौ बयालीस) मात्र मा. न्यायालय में जमा करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

  
(व्ही.एस.टेकाम)  
उप सचिव  
म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग

पृ. क्रं.-373/2/74/भू.अ./2015/MPS/31 / 1557  
प्रतिलिपि :-

भोपाल दिनांक-04/09/2018

1. मुख्य अभियंता, नर्मदा ताप्ती कछार इंदौर।
  2. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल, धार।
  3. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, झाबुआ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

  
उप सचिव  
म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग